न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 68 / 2022
GCMS NO. 2022 / 153

1. इन्द्रपाल पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. तिजा देवी पत्नी किशनाराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
3. कवंरपाल पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
4. मोहरी पत्नी पीरूराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।

आवेदकगण

बनाम

1. धुकलराम पुत्र नाथा
2. सुनीता पत्नी ओमप्रकाश
3. पुलकीत पुत्र ओमप्रकाश
4. धर्मपाल पुत्र भागुराम
5. परमेश्वरी पुत्री भागुराम
6. महावीर प्रसाद पुत्र भागुराम
7. योगेश कुमार पुत्र भागुराम
8. सुशीला पुत्री भागुराम
9. राजेश कुमार पुत्र गोरूराम
10. सुभाचन्द्र पुत्र गोरूराम
11. सुरेन्द्रसिंह पुत्र गोरूराम समस्त जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
12. बजरंगलाल पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी हमीरवास रिजाणी (जीवा का बास) तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
13. मोहनीदेवी पत्नी जीताराम
14. रामनिवास पुत्र जीताराम
15. लक्ष्मी पूत्री जीताराम
16. विजयसिंह पुत्र पितराम
17. विनोदकुमार पुत्र पितराम
18. श्रीचन्द पुत्र पितराम
19. सरोज पुत्री पितराम
20. सवाईसिंह पुत्र पितराम
21. किताब पुत्री मगाराम
22. जयपाल पुत्र मगाराम
23. प्रतापसिंह पुत्र मगाराम
24. फुलचन्द पुत्र मगाराम
25. रामकुमारसिंह पुत्र मगाराम
26. शिशराम पुत्र मगाराम
27. सावित्री पुत्री मगाराम
28. हरिसिंह पुत्र मगाराम
29. अमरसिंह पुत्र मेघदान
30. कैलाशदान पुत्र गंगादान
31. दलीप पुत्र गंगादान

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

32. नरेन्द्रसिंह पुत्र गगादान
33. भवानीशंकर पुत्र गंगादान
34. राजेन्द्रसिंह पुत्र गंगादान
35. सुरेन्द्रसिंह पुत्र गंगादान
36. सहदेवसिंह पुत्र गंगादान
37. किशोरसिंह पुत्र बन्नाराम
38. सवाईसिंह पुत्र बन्नादान
39. जगदीश पुत्र बलवन्तदान
40. जयसिंह पुत्र बलवन्तदान
41. प्रेमलता पत्नी इन्द्रपाल
42. प्रहलादसिंह पुत्र सांवतराम
43. मोहनीदेवी पत्नी प्रहलादसिंह
44. कन्हैयालाल पुत्र पीरूराम
45. अनीता पुत्री किशनाराम
46. धर्मवीर पुत्र किशनाराम
47. सजीवकुमार पुत्र किशनाराम समस्त जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
48. पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा झुन्झुनू।
49. पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा बिसाऊ।
50. बैंक ऑफ बड़ौदा जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा अलसीसर।
51. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा गांधी चौक झुन्झुनू जरिये शाखा प्रबंधक
52. बैंक ऑफ इण्डिया जरिये शाखा सचिव शाखा झुन्झुनू।
53. आईडीबीआईबैंक लिमिटेड जरिये शाखा सचिव शाखा झुन्झुनू।
54. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

दिनांक 08.07.2025

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदकगण संख्या 1 लगायत 3 व अनावेदकगण संख्या 45 लगायत 47 की खातेदारी काश्तकारी की भूमि ख0न0 183/225 व आवेदिका संख्या 4 व अनावेदक संख्या 44 की खातेदारी की भूमि ख0न0 180 वाके ग्राम चारणवासी की सरहद में स्थित है। आवेदकगण की काश्त की भूमि ख0न0 183/225 व 180 में आने–जाने के लिये रास्ता धन्दुरी से रिजाणी जाने वाली पुख्ता सड़क से फटकर अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 28 की खातेदारी काश्तकारी की भूमि ख0न0 100, 165 व 166 में से होकर के ख0न0 170 व 171 अनावेदकगण 29 लगायत 40 की भूमि में से होकर के ख0न0 180 अनावेदक संख्या 41 लगायत 43 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे ख0न0 180 व 183/225 में जाता है। उक्त रास्ता कहीं पर ख0न0 100 में व कहीं पर ख0न0 165, 166 में से होकर गुजरता है। परन्तु ख0न0 100, 165, 166, 170, 171, व 183 के खातेदार रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज नहीं होने से अवरोध पैदा करते है। आवेदक की काश्त की जमीन व आवासीय मकानों में आने जाने का और कोई रास्ता नहीं है। अंत में आवेदकगण को जमीन जैर बहस में आने–जाने के लिये ख0न0 100, 165, 166, 170, 171 व 183 में से होकर 5 मीटर चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मलसीसर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदकगण संख्या 1,

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

11, 14, 18 की ओर से एडवोकेट परिवेश कुमार/रसीद खान तथा अनावेदकगण संख्या 31, 34, 39, 41, 46 की ओर से एडवोकेट रोहिताश कुमार ने वकालतनामा पेश किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1, 11, 14 व 18 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि आवेदकगण की भूमि ख0न0 183/225 व 183 में आने जाने हेतु न्य जगह से रास्ता मौजूद है जो कि ख0न0 173 से होकर ख0न0 173/240 से होते हुये आता है। जिसका उपयोग उपभोग आवेदकगण करते आ रहे है। जबकि आवेदकगण द्वारा बताया गया रास्ता मौजूद नहीं है। आवेदकगण केवल सुविधा के आधार पर नया रास्ता की मांग नहीं कर सकते है। इसलिये आवेदकगण का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदकगण का आवेदन पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 43 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि ख0न0 274/183 में से होकर रास्ता चालु है। आवेदकगण उक्त रास्ते को दक्षिण दिशा में सरकाकर भूमि पर अतिक्रमण करना चाहते है। आवेदकगण की काश्त की भूमि आने जाने के लिये रास्ता मौके पर चालू है। आवेदकगण तीजा देवी, कंवरपाल, इन्द्रपाल की भूमि में से होकर उक्त रास्ता नहीं गुजरता है इन्द्रपाल की पत्नी प्रेमलता की खातेदारी की भूमि से होकर यह रास्ता गुजरता है तथा प्रेमलता की तरफ से प्रार्थना पत्र रास्ते हेतु पेश किया गया है इसलिये प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं होने के कारण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अनावेदकगण संख्या 2 लगायत 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19 लगायत 22, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 47 लगायत 53 की ओर से कोई उपसंजात नहीं हुआ। पक्षकारान को नोटिस विधिवत तामिल होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपसंजात नहीं होते है तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अनावेदकगण संख्या 2 लगायत 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19 लगायत 22, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 47 लगायत 53 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 23 लगायत 26, 28, 38, 31, 34, 39, 41, 46 की ओरसे जवाब पेश नहीं होने पर जवाब बंद किया गया।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस विद्वान अधिवक्तागण श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया एवं 5 मीटर चौड़ा कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थीगण के पूर्व से रास्ता लगता है जिससे प्रार्थीगण वर्तमान में आना–जाना करता है। अतः वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नवीन रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे।

तहसीलदार मलसीसर के पत्र क्रमांक 345 दिनांक 28.02.2023 से रिपोर्ट प्रेषित की। तहसीलदार मलसीसर ने अपनी उक्त रिपोर्ट में अंकित किया है कि ख0न0 100, 170, 171, 274/183, 293/183 में राजस्व नक्शे में डोटेड रास्ता दर्ज है जो मौके पर चालु है। ख0न0 180 में जाने के लिये रास्ते की आवश्यकता है। आवेदकगण द्वारा चाहा गया रास्ता लघुतम है। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि में पहूंच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता दिया जाना उचित है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सींमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि ख0न0 180 में आने जाने हेतु खेत ख0न0 100, 170, 171, 274/183 व 293/183 में से होकर 5 मीटर चौड़ा रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट के अनुसार आवेदक को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है तथा आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता लघुतम है। ख0न0 274/183 की खातेदार मोहनी देवी ने ख0न0 274/183 में दर्ज डोटेड रास्ते को सीमा के सहारे–सहारे दर्ज करने का निवेदन किया गया। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों, तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। आवेदक को खेत खसरा नम्बर 180 में आने–जाने के लिये ख0न0 100, 170, 171 में तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट के संलंग्न नक्शे में दर्शाये अनुसार तथा ख0न0 274/183 व 294/183 के उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे ख0न0 293/183 में से होते हुये 5 मीटर चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार मलसीसर को निर्देशित किया जाता है कि ख0न0 100, 170, 171, 274/183, 294/183, 293/183 में से रास्ते में आने वाली भूमि के बदले डी.एल.सी. का दो गुणा राशि आवेदक से वसूल कर ख0न0 100, 170, 171, 274/183, 294/183, 293/183 के खातेदार को दी जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार मलसीसर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर